

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096.



Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ-Special Economic Zone,
Andheri (E), Mumbai - 400096.

वेबसाइट : www.seepz.gov.in, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन : 022-28290856/28294700

फाइल नं:-SECU-11011/1/2022-SECURITYSECTION/02477

दिनांक:-23.02.2026

परिपत्र/ Circular No:- 08/2026

विषय:- प्रवेश पास निष्क्रियकरण एवं आईडी कार्ड नियमों के कड़ाई से अनुपालन के संबंध में

Subject: Deactivation of Entry Passes of Former Employees and Compliance with ID Card Instructions

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु, सीपज-सेज में कार्यरत सभी इकाइयों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

All concerned are hereby informed that, in order to prevent recurrence of such incidents, the instructions are reiterated for strict compliance by all Units operating in SEEPZ-SEZ.

सभी इकाइयों यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कर्मचारी के त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, स्थानांतरण अथवा किसी अन्य कारण से सेवा समाप्त होने की स्थिति में उसका प्रवेश पास (Entry Pass) तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया जाए। किसी भी पूर्व कर्मचारी के प्रवेश पास को बिना विलंब निष्क्रिय करना संबंधित इकाई की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक से बचा जा सके।

All Units must ensure timely deactivation of Entry Passes of employees immediately upon cessation of employment due to resignation, termination, transfer, or any other reason. It shall be the sole responsibility of the concerned Unit to ensure that the Entry Pass of any former employee is deactivated without delay to avoid any security lapse.

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीपज के किसी भी प्रवेश/निकास द्वार पर सीपज आईडी कार्ड के स्क्रीनशॉट अथवा प्रवेश पास की फोटो के आधार पर प्रवेश/निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वैध एवं मूल (Original) सीपज आईडी कार्ड अथवा "SEEPZ Visitor" एप्लीकेशन के माध्यम से जारी वर्चुअल एंटी पास ही प्रवेश हेतु मान्य होगा।

Further, it is hereby clarified that screenshots of SEEPZ ID Cards or photographs of Entry Passes will not be permitted for entry or exit at any SEEPZ gate. Only valid original SEEPZ ID Cards or Virtual Entry Passes issued through the "SEEPZ Visitor" application will be accepted for access.

सभी इकाइयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संबंधित कर्मचारियों, विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं और बस

All Units are directed to inform their respective employees, Vendors, Service Providers, and Bus

ऑपरेटरों को उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाईपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के लिए सूचित करें।

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Operators to ensure strict compliance with the above instructions with immediate effect.

This circular shall come into force immediately.

भवदीय,


23-2-26

(मयुर मानकर)

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

प्रति,

- सभी सीपज़ सुरक्षा रक्षक
- सभी सीपज़ यूनिट्स